



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ 219-235 दिनांक: 13/01/2021

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. माहसूख मिर्जा, कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुरा-हरदोई बाईपास रोड़, लखनऊ-226013
3. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
4. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
5. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
6. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
7. प्रो. मीता कोटेचा, चेयरमैन, आयुर्वेद अध्ययन मण्डल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
8. डॉ. मोहम्मद सफवान, चेयरमैन, यूनानी अध्ययन मण्डल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक
9. प्रो. पंकज शर्मा, चेयरमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
10. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
11. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
12. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
13. डॉ. ए.के. मूर्ति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
14. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
15. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12 जनवरी 2021 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन, जो दिनांक 12 जनवरी 2021 को प्रातः 11.30 बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड से आयोजित आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

भवदीय

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 50वां उपवेशन

12 जनवरी 2021

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 50वां उपवेशन दिनांक 12.01.2021 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. माहरूख मिर्जा, कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन विश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुरा-हरदोई वाईपास रोड़, लखनऊ-226013
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. प्रो. मीता कोटेचा, चेयरमैन, आयुर्वेद अध्ययन मण्डल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
7. प्रो. पंकज शर्मा, चेयरमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
8. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
9. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
10. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
11. डॉ. ए.के. मूर्ति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
12. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
13. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-

1. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
2. डॉ. मोहम्मद सफवान, चेयरमैन, यूनानी अध्ययन मण्डल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनांक 12 जनवरी 2021 को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 11 दिसम्बर 2019 की अनुपालना का अनुमोदन।	<p>क्र.सं.1</p> <p>विद्या परिषद् के उपवेशन 24 जनवरी 2019 के बिन्दु संख्या 10,11,12,13 एवं 15 के संबंध में की गई कार्यवाही से समस्त सदस्यों को अवगत कराने के उपरान्त की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p> <p>विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 22 जुलाई 2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 05 में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p> <p>योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु माननीय कुलपति महोदय को समिति का पुनः निर्धारण करने हेतु एवं समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने बाबत अधिकृत किया गया।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या 11 शैक्षणिक पदो हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में समिति द्वारा पूर्व में दिनांक 18.03.2020 को प्रेषित रिपोर्ट में आंशिक संशोधन उपरान्त आज दिनांक 12.01.2021 को समिति द्वारा इस संबंध में पुनः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श उपरान्त समिति की रिपोर्ट में ANNEXURE-3 Option C- Amendment in Rajasthan Ayurved University Service Rules published on 21 Feb 2019 including Central Council of Indian Medicine Rules for Direct Recruitment/Promotion में वर्णित प्रोफेसर, एसो. प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यताओं के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या 17 के संबंध में हुई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p>



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>एजेण्डा बिन्दु संख्या 19(6) के संबंध में चूंकि यह कार्यवाही विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12.01.2021 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 6 में निर्धारित थी। अतः इस संबंध में एजेण्डा बिन्दु संख्या - 6 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>क्र.सं.संख्या- 02 प्रबन्ध बोर्ड के उपवेशन दिनांक 22.07.2019 के निर्णयानुसार चूंकि यह कार्यवाही विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12.01.2021 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 19 में निर्धारित थी। अतः इस संबंध में एजेण्डा बिन्दु संख्या - 19 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>क्र.सं.- 03 से 12 तक के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p> <p>क्र. सं.- 13 में वर्णित पी.एचडी आर्डिनेन्स में चूंकि आवश्यक संशोधन कर सक्षम स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित करवाने हेतु भिजवाये जा चुके हैं तथा प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित है अतः इस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को स्मरण पत्र लिखने हेतु निर्णय लिया गया।</p> <p>क्र.सं.-14 समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।</p> <p>क्र.सं.-15 के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।</p> <p>क्र.सं.-16 अनुपूरक एजेण्डा माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। 02. चूंकि यह प्रकरण विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12.01.2021 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 10 में विचारार्थ रखा गया था अतः इस पर एजेण्डा बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। 03. के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। 04. के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>किया गया।</p> <p>05. समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।</p>
2.	<p>कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर बी.ए.एम.एस/बी.यू.एम.एस/बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाई.एस/बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श।</p>	<p>इस हेतु गठित समिति की रिपोर्ट उपरान्त सक्षम स्वीकृति पश्चात् पृष्ठ संख्या- 103 से 106 तक वर्णित विश्वविद्यालय के संघटक स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर बी.ए.एम.एस/बी.यू.एम.एस/बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाई.एस/बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों को पृष्ठ संख्या 103 से 106 में अंकित सूची अनुसार सम्बद्धता की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। चूंकि पृष्ठ संख्या 104 मे विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर का ही नाम अंकित है तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु 05 महाविद्यालय है, परन्तु सहवनवश अन्य सम्बद्धता प्राप्त 04 बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों के नाम अंकित नहीं हो पाये उनका नाम तथा सम्बद्धता आदेश संबंधि विवरण निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाला इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रींगस, सीकर - आदेश क्रमांक: 6690-6694 दिनांक: 14.12.2020 2. शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, सीकर - आदेश क्रमांक: 6685-6689 दिनांक: 14.12.2020 3. श्रीमती रामकुमारी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, मुकुंदगढ़, झुंझुनू- आदेश क्रमांक: 6695-6699 दिनांक: 14.12.2020 4. मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर- आदेश क्रमांक: 7496-7500 दिनांक: 04.01.2021 <p>अतःएव इन चारो बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों की भी सम्बद्धता का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
3.	बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग सत्र 2019-20 की सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम निरन्तर जारी करने हेतु राजभवन द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-30(1)आरबी/2020/772 दिनांक 07.10.2020 की अनुपालना में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	राजभवन द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में इन संस्थाओं की सम्बद्धता तथा इन पाठ्यक्रमों को निरन्तर जारी रखने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	कैशव आयुर्वेद कॉलेज, अकलेरा, झालावाड़ का सत्र 2019-20 की सम्बद्धता हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित की गई समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	माननीय कुलपति महोदय को संस्था का भौतिक निरीक्षण हेतु निरीक्षक नियुक्त कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।
5.	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर को विश्वविद्यालय के संघटक आंगिक सेटेलाइट आयुर्वेद हॉस्पिटल एवं नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, मगरा-पूजला, जोधपुर के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 60 प्रवेशित सीटों की मान्यता एवं सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र मय सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क डी.डी.संख्या-692927 राशि रुपये 2,31,500/- दिनांक 30.06.2020 को भिजवाने की पुष्टि बाबत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मोरजण्डा खारी, श्रीगंगानगर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	रिपोर्ट पर विचार-विमर्श उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग प्रारम्भ नहीं करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
7.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के विन्दु संख्या 29 के अन्तर्गत डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक नवीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर में स्थापित करने हेतु की गई	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	कार्यवाही एवं नवीन महाविद्यालय स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श एवं अनुमोदनार्थ।	
8.	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 29 के अन्तर्गत डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक नवीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकड़ी, अजमेर में स्थापित करने हेतु की गई कार्यवाही एवं नवीन महाविद्यालय स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श एवं अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	डॉ. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता (योग) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस कॉलेज, जयपुर के पत्र दिनांक 23.09.2020 के तहत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च) के प्रावधानानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय के लिए डॉ. एकलव्य बोहरा का नाम प्रस्तावित किया गया, प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	डॉ. एकलव्य बोहरा का नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च)के प्रावधानानुसार यूनानी एवं होम्योपैथिक संकाय हेतु 01-01 सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने हेतु संबंधित अधिष्ठाता को पत्र प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10.	बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदनार्थ।	समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रबन्ध बोर्ड के उपवेशन दिनांक 11 दिसम्बर 2019 के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में पाठ्यक्रम अनुमोदन पश्चात् इस पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
11.	छात्रा अंकिता कुमारी पुत्री स्व.श्री प्रहलादराम वी.ए. एम.एस. अन्तिम वर्ष (प्रवेश बैच 2015) द्वारा आर्थिक विपन्नता के कारण शैक्षणिक शुल्क जमा कराने में असमर्थता व्यक्त की गई, शुल्क माफ करने हेतु गठित कमेटी की अनुशंसा के पश्चात् राजभवन सचिवालय के परिपत्र F-1(46)2015/3658 दिनांक 10 मई 2016 के	इस हेतु छात्रा अंकिता कुमारी पुत्री स्व.श्री प्रहलादराम वी.ए.एम.एस. अन्तिम वर्ष (प्रवेश बैच 2015) द्वारा आर्थिक विपन्नता के कारण तथा राजभवन सचिवालय, जयपुर के परिपत्र की अनुपालना में तृतीय एवं चतुर्थ शैक्षणिक वर्ष के शैक्षणिक शुल्क माफ किये जाने की कार्योत्तर



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	अनुसार छात्रा की तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष की शैक्षणिक शुल्क माफ की जाकर कार्योत्तर स्वीकृति बाबत प्रकरण प्रस्तुत है।	स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि कोई शैक्षणिक शुल्क माफ हेतु विद्यार्थी का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो राजभवन के परिपत्र के अनुसार उस विशेष विद्यार्थी हेतु उसके संबंध में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन समीक्षा कर उक्त प्रस्ताव को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिस पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
12.	वर्तमान पीएच.डी. नियम संख्या O.88.2 AWARD OF Ph.D. DEGREE: i) Final Ph.D. degree will be awarded after the approval of Board of Management. However, prior to actual award of the degree, the university shall issue a provisional certificate. के अनुसार पीएच.डी. (आयु.) अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	विश्वविद्यालय विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 22 जुलाई 2019 के बिन्दु संख्या 03 में लिये गये निर्णय अनुसार दीक्षान्त समारोह हेतु प्रदान की जाने वाली पीएच.डी. की 30 उपाधियों के सम्बंध में विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14.	विश्वविद्यालय अनुसंधान बोर्ड (Research Board) कार्यवाही विवरण पत्रांक-1886-99 दिनांक 07.07.2020 पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	दिनांक 07.07.2020 को सम्पन्न हुई विश्वविद्यालय अनुसंधान बोर्ड (Research Board)की बैठक की कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय अनुसंधान बोर्ड (Research Board)की बैठक दिनांक 11.01.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तुत कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन भी किया गया।
15.	विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में पीएच.डी. (नियमित) सीटों पर प्रवेश हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में जिन-जिन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उसमें संबंधित शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता के अनुसार पीएच.डी करवाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
16.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के पी.जी. अध्येताओं को शोध कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय से बाहर अन्यत्र स्थान पर जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
17.	बी.एन.वाई.एस. पाठ्यक्रम के संशोधन हेतु प्रस्तुत नवीन पाठ्यक्रम पर विचार-विमर्श।	इस हेतु प्रस्तुत संशोधित पाठ्यक्रम एवं एमएसआर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु बैंक गारन्टी 50 लाख के स्थान पर 35 लाख रुपये करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
18.	दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक विश्वविद्यालय के एक्ट के अनुसार पात्र पीएच.डी. धारकों को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दी जाने वाली उपाधियों का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
19.	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2018-19 अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2019 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं गोल्ड मैडल दिये जाने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
20.	शैक्षणिक सत्र 2018-19 अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2019 तक उत्तीर्ण स्नातकोत्तर (आयुर्वेद/होम्योपैथी) एवं स्नातक (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) विद्यार्थियों की प्रस्तुत सूची तथा डिग्री प्रारूप (सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार) एवं माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव हेतु विचार-विमर्श।	
21.	आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित संस्था सी.सी.आर.ए.एस., नई दिल्ली, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ औषधीय पादपों पर शोध कार्य हेतु, ब्रिटेन(यू.के.)के साथ अकादमिक क्षेत्र में मौलिक नैदानिक और नैदानिक सेवाएं व राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटेनरी एण्ड एनिमल साइंसेज, बीकानेर के साथ आयुर्वेद क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान जिसमें वैकल्पिक चिकित्सा और ओवेरेटेड क्षेत्र में काम करने वाले उत्कृष्ट वैज्ञानिक की हैविन शक्ति व अन्य गतिविधियों के संबंध शोध कार्य हेतु आपसी समझ-पत्र (MoU) का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22.	विश्वविद्यालय में स्थापित किये गये मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	विश्वविद्यालय में स्थापित किये गये नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
24.	विश्वविद्यालय द्वारा कौविड-19 से संबंधित किये जा रहे अनुसंधानों का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
25.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त डी.ए.एन.एण्ड पी. पाठ्यक्रम हेतु निम्न संस्थाओं श्रीमती रामकुमारी इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद, मुकुन्दगढ़ मण्डी, झुंझुनू, महिला इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद, खाटूश्याम जी रोड़, रींगस एवं शेखावटी इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद, सीकर संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2019-20 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में पुष्टि हेतु। 2. विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ आयुर्वेद, जोधपुर करवड़ स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में संजीवनी पोस्ट कोविड कैयर सेन्टर एवं रेफरल केन्द्र की स्थापना तथा श्री कर्नाराम सालगराम टाक आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, मगरा-पूजला, जोधपुर के आयुर्वेद चिकित्सालय में संजीवनी पोस्ट कोविड कैयर सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में। 3. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ आयुर्वेद, जोधपुर द्वारा	1.सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 2. सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 3. पत्र में बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा (संशोधित) नियम 2019

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>अपने पत्र दिनांक 21.12.2020 पर विचार-विमर्श।</p>	<p>मे विहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक/वांछित अनुभव पूर्ण करने वाले उपयुक्त शिक्षकों की पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाये। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लगना सम्भावित है तथा विश्वविद्यालय के इस महाविद्यालय में सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित उच्च संकाय शिक्षकों की कमी तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान करते हुये निर्देशित किया गया है कि रिक्त रहे उच्च संकाय के शैक्षणिक पदों की पूर्ति करें इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा इस संबंध में राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.25(8)आयु./2020 जयपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2020 के अनुसार इस संबंध में निर्देशित किया है कि "प्रस्तावानुसार डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर सेवा नियम (संशोधन) 2019 में विहित प्रावधानों के अनुसार ही आवश्यक/वांछित अनुभव पूर्ण करने वाले उपयुक्त शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यव्यवस्थार्थ लगाये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए अन्य आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं। अतः विभागीय पत्र दिनांक 24.09.2020 में अंकित निर्देशों के अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही करने का श्रम करावे।" अतः विभागीय पत्रांक: प.25(8)आयु./2020 जयपुर दिनांक 24 सितम्बर 2020 में अंकित बिन्दु संख्या 01 में वर्णित है कि "राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर सेवा नियम (संशोधन), 2019 में विहित प्रावधानों अनुसार आवश्यक/वांछित अनुभव पूर्ण करने वाले उपयुक्त शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जावे।" इसकी अनुपालना करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेवा (संशोधित) नियम 2019 सेवानियम के अनुसार चूंकि</p>

असिस्टेन्ट प्रोफेसर से एसो.प्रोफेसर के पद हेतु असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सीनियर स्केल) में वर्णित निर्धारित योग्यता रखने पर पदोन्नति करने का प्रावधान है तथा राज्य सरकार द्वारा अभी तक असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद सृजित नहीं है तथा सी.सी.आई.एम., नई दिल्ली के निर्धारित मानक अनुसार इस महाविद्यालय में उच्च संकाय (एसो.प्रोफेसर) की कमी भी है और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महाविद्यालय की सशर्त अनुमति के साथ-साथ इन पदों की पूर्ति करने बाबत भी निर्देशित किया है अतः ऐसी परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये नियामक संस्था सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली द्वारा शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित मानक अनुसार अनुभव हेतु निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति करते है तो उनको भी अधिकतम 01 वर्ष के लिये कार्य व्यवस्थार्थ एसो. प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर लगाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

पत्र में बिन्दु संख्या-2 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 6771-73 दिनांक 05.12.2020 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। इस संबंध में प्रशासन को यह कार्य शीघ्र पूर्ण करने बाबत राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।

पत्र में बिन्दु संख्या-3 के संबंध में की गई कार्यवाही से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पत्र में बिन्दु संख्या-4 के संबंध में प्रक्रिया लागू करने हेतु एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर का नाम परिवर्तन कर इन्स्टीट्यूट करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>4. चिकित्सालय अधीक्षक, आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय, करवड़, जोधपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.12.2020 पर विचार-विमर्श।</p> <p>5. विश्वविद्यालय के विधिक शाखा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ, जोधपुर के निर्णय वाद संख्या-एसवीसीडब्ल्यू पी. संख्या-7789/2019 तथा एसवीसीडब्ल्यू पी. संख्या-5679/2020 के आदेशों के सम्बन्ध में कार्योत्तर अनुमोदन वावत।</p> <p>6. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07 नवम्बर 2016 संख्या. 11-75/2016/यू.जी.रेग्यूलेशन के बिन्दु संख्या-7 परीक्षा की योजना की पालना हेतु।</p> <p>7. पंचकर्म सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एकवर्षीय पूर्णकालिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को पूर्व संचालित एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम के स्थान पर पंचकर्म स्नातकोत्तर विभाग, डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।</p>	<p>पत्र में बिन्दु संख्या-5 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय को कार्यवाही करने हेतु सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।</p> <p>पत्र में बिन्दु संख्या-6 के संबंध में विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति की बैठक दिनांक 08.01.2021 में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी सक्षम स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार को भेजने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।</p> <p>4. इस संबंध में माननीय कुलपति महोदय को एक समिति बनाकर इस पर कार्यवाही करने वावत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।</p> <p>5. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>6. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>7. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>



क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>8. आल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनस (एआईएयूपीआई) द्वारा बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये सम्बद्धता शुल्क एवं मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन करवाने के संबंध में प्राप्त पत्रांक 1207 दिनांक 31.12.2020 पर विचार-विमर्श।</p>	<p>इस संबंध में पत्र में वर्णित तथ्यों पर आवश्यक विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु प्रकरण संबंधित सक्षम शाखा/समिति को प्रेषित कर इस पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
	<p>9. डॉ.मोनिका वर्मा असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मौलिक सिद्धान्त, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यरत पीएच.डी धारको को दिये जा रहे अतिरिक्त इन्क्रिमेन्ट की भांति उन्हें भी अतिरिक्त इन्क्रिमेन्ट दिये जाने हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर विचार विमर्श।</p>	<p>इस विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत पीएच.डी धारको को दिये जा रहे अतिरिक्त इन्क्रिमेन्ट की भांति उन्हें भी अतिरिक्त इन्क्रिमेन्ट दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</p>

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 2 से 15 तक)।


सदस्य कुलसचिव